न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या– 2017/00143

1. महेन्द्र आत्मज अमरलाल जाति मीणा निवासी ग्राम पानाहेड़ा तहसील कनवास जिला कोटा(राज0)।
2. बद्रीविशाल आत्मज भैरूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम पानाहेड़ा तहसील कनवास जिला कोटा(राज0)।

– अपीलांट

बनाम

1. लाडकंवर बाई पुत्री धन्नालाल पत्नी श्री राजाराम जाति मीणा निवासी ग्राम भदाना रेलवे स्टेशन के पास, कोटा जं. तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
2. मुसम्मात रामचन्द्री बाई बेवा मथुरालाल जाति मीणा निवासी ग्राम पानाहेड़ा तहसील कनवास जिला कोटा।
   2/1 भंवरी बाई पुत्री धन्नालाल पत्नी परमानन्द जाति मीणा निवासी ग्राम बम्बूली तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।

–रेस्पोडेन्ट

उपस्थित वक्त बहस–(1). घनश्याम नागर– अधिवक्ता अपीलांट
(2). श्यामलाल सुमन–अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2/1

निर्णय **दिनांक 21.06.2023**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा के प्रकरण संख्या 16/2016 मे पारित निर्णय दिनांक 13.10.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि प्रार्थीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने मूलवाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीया व प्रतिपक्षी संख्या 3 से 7 एक ही वश की वंशावली है जिनके संयुक्त खाते मे विरासत से प्राप्त आराजीयात ग्राम पानाहेड़ा तहसील कनवास जिला कोटा की खाता संख्या 105 मे दर्ज खसरा संख्या 512 की रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 514 की रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 515 की 0.45 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 581 की 0.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 688 की 1.83 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 689 रकबा 0.09 हक्टेयर, खसरा नम्बर 690 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 845 रकबा 1.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 921 रकबा 0.06 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 922 रकबा 0.25 हैक्टेयर कुल किता 13 रकबा 5.89 हैक्टेयर आराजी स्थित है, जिसमे प्रार्थीया,

प्रतिपक्षी संख्या 4 भवंरी बाई तथा अप्रार्थी संख्या 5 पुष्पाबाई को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा, प्रतिपक्षी संख्या 6 उमाशंकर का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 रामचन्द्रीबाई का 1/3 हिस्सा राजस्व अभिलेख मे अंकित है। जिसमे प्रतिपक्षी संख्या 3 रामचंन्द्री बाई ने 1/2 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 को विकय करने से उसके खाते दर्ज हो चुकी है। खाता संख्या 106 मे दर्ज खसरा नम्बर 188 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 189 रकबा 1.42 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 190 रकबा 1.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 229 रकबा 0.71 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 230 रकबा 0.59 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 668 रकबा 0.58 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 669 रकबा 0.15 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 4.59 हैक्टेयर आराजीया तमे प्रार्थीया व प्रतिपक्षी भंवरी बाई तथा प्रतिपक्षी संख्या 5 पुष्पाबाई का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा, प्रतिपक्षी संख्या 6 उमा शंकर का 1/6 हिस्सा, प्रतिपक्षी संख्या 7 किशनगोपाल मृतक जिसके वारिसान प्रतिपक्षी संख्या 7/1 से 7/5 है, का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिपक्षी संख्या 3 रामचन्द्री बाई का 1/6 हिस्सा राजस्व अभिलेख मे अंकित है, जिसमे से 1/6 हिस्से के सह खातेदार किशनगोपाल का करीब 2 माह पूर्व देहान्त हो चुका है, जिसके वारिसान प्रतिपक्षी संख्या 7/1 से 7/5 है। खाता संख्या 104 मे दर्ज खसरा नम्बर 608 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 609 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 680 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 682 रकबा 1.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 683 रकबा 1.38 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 684 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 691 रकबा 0.48 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 694 रकबा 0.03 हैक्टेयर कुल किता 8 रकबा 3.17 हैक्टेयर आराजीयात मे प्रार्थीया, प्रतिपक्षी संख्या 4 भंवरी बाई, प्रतिपक्षी संख्या 5 पुष्पाबाई का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा तथा प्रतिपक्षी संख्या 3 रामचन्द्री बाई का 1/2 हिस्सा राजस्व अभिलेखो मे अंकित है। उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात संयुक्त खाते की होने से कानूनन प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक खसरा नम्बर की प्रत्येक इंच भूमि पर प्रार्थीया व प्रतिपक्षी संख्या 3 से 7 का समान अधिकार बनता है। उक्त आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक रूप से विभाजन नहीं हुआ है व संयुक्त रूप से परस्पर सहमति से काश्त की जाती रही है। खाता संख्या 105 मे वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात मे प्रतिपक्षी संख्या 3 रामचन्द्री बाई का 1/3 हिस्सा राजस्व अभिलेखों मे अंकित है जिसमे से 1/6 हिस्सा उसने प्रतिपक्षी संख्या 1 महेन्द्र को दिनांक 15.06.2016 को तथा 1/6 हिस्सा प्रतिपक्षी संख्या 2 बद्रीविशाल को दिनांक 15.06.2016 को रजिस्टर्ड विकय विलेख से विकय कर दिया है जिसके आधार पर उनके द्वारा इंतकाल अपने नाम पर खुलवा लिए तथा प्रतिपक्षी संख्या 6 के स्थान पर सहखातेदार के रूप मे अपना नाम दर्ज करवा लिया है। प्रतिपक्षी संख्या 1 व 2 उक्त विकय विलेखों की आड मे खसरा नम्बर 688 रकबा 1.83 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 689 की 0.09 हक्टेयर तथा खसरा नम्बर 690 की रकबा 0.18 हैक्टेयर आराजी जो आपस मे मिली हुई है, उक्त भूमियों पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है। इसके लिए प्रतिपक्षी संख्या 1 व 2 उक्त भूमियों पर कब्जा करने की नीयत से पहुंच गये । इस बाबत प्रार्थीया को जानकारी होने पर प्रार्थीया के पति ने उनको उलहना दिया तो उन्होने कहा कि भूमि उनके द्वारा विकय विलेख से कय की है, वे समस्त आराजी पर कब्जा करेंगे। यदि कोई सामने आया तो हाथ–पैर तोड़ देंगे। प्रतिपक्षी संख्या 3 से भी इस संबंध मे कहा तो उसने कहा कि उसने तो भूमि बेच दी है, जो करना है करें जबकि बिना विभाजन के प्रतिपक्षी संख्या 3 को भूमि विकय करने

का अधिकार नहीं है तथा प्रतिपक्षी संख्या 6 रामचन्द्री बाई ने यह धमकी दी कि वह अपने हिस्से की अन्य कृषि भूमियों का खसरा विशेष के रकबे विशेष को भी विक्रय करेंगी। इस प्रकार उसे विवादित आराजीयात का विभाजन हुए बिना अन्य भूमियों को भी विक्रय करने की धमकी दी है तथा वह ऐसा करने पर आमादा है। अन्त मे प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति स्वयं के पक्ष मे होना बताकर प्रार्थीया के पक्ष मे प्रतिपक्षी संख्या 1 व 2 व उनके एजेन्ट के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला जारी किये जाने का निवेदन किया कि वे खाता संख्या 105 मे दर्ज खसरा नम्बर 688, 689 व 690 मे अथवा अन्य खसरा नम्बरान की आराजी पर अथवा किसी भी रकबे पर मजाहमत व मदाखलत नहीं करे न किसी प्रकार से कब्जा करने का प्रयास करें तथा प्रार्थीया व प्रतिपक्षी संख्या 4 से 7 को शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त करने देवे व कोई व्यवधान पैद नहीं करे। साथ ही प्रतिपक्षी संख्या 3 के विरूद्ध ताफैसला दावा इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया कि वह खाता संख्या 106 व 104 मे वर्णित ग्राम पानाहेड़ा की आराजीयात का प्रार्थीया व प्रतिपक्षी संख्या 4 से 7 के मध्य विवादित भूमि का विभाजन हुए बिना विशिष्ट खसरा नम्बर के विशिष्ट रकबे को कहीं पर रहन, विक्रय अथवा अन्य किसी प्रकार से खुर्द–बुर्द नहीं करे। साथ ही दौराने वाद प्रतिपक्षी किसी भूमि पर कब्जा कर ले तो उनको बेदखल कर वापस कब्जा दिलाया जावे।

3. उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर दिनांक 13.10.2016 को प्रार्थीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निर्णय पारित किया ।

4. अपीलांट ने अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है। अपील मे हुई देरी को क्षमा किये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनिमय प्रस्तुत किया है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी व प्रार्थीगण के अधिवक्ता को बिना सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आदेश प्रदान किया, जिसकी जानकारी दिनांक 14.02.2017 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आराजी पर मदाखलत व मजाहमत करने व अपने पक्ष मे आदेश होने बाबत कहने पर हुई है। जानकारी होते ही प्रार्थीगण द्वारा तुरन्त अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर सम्पूर्ण जानकारी की नकल का प्रार्थना–पत्र दिनांक 14.02.2017 को लगाकर दिनांक 23.02.2017 को नकल प्राप्त की, तत्पश्चात रूपयों की व्यवस्था कर जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है। अन्त मे प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 13.10.2016 से दिनांक 14.02.2017 तक की अवधि कण्डोन फरमाये जाने का निवेदन किया।

5. हमने प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। प्रार्थना–पत्र मे अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है। अतः न्यायहित मे अपीलांट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील मे हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

6. अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय 13.10.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलांट प्रतिपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रथम अपील न्यायालय हाजा प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

7. अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि, न्याय एवं संचिका मे सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध अपीलांट स्वीकार कर लिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि उक्त वर्णित आराजी ग्राम पानाहेड़ा स्थित आराजी संख्या 688, 689, 690 पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। हमेशा की भांति आज भी अपीलांट बहैसियत मालिक उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त तथ्य स्वयं रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र मे स्वीकार करने के बावजूद भी अपीलांट के विरूद्ध आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट को दिनांक 13.10.2016 को न तो जवाबदेही का कोई अवसर प्रदान किया और न ही अपीलांट के अधिवक्ता को सुना गया। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश सकारण नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश मे यह नहीं बताया गया कि रेस्पोडेन्ट का प्रकरण किस आधार पर स्वीकार होने योग्य है और अपीलांटगण का कब्जा होने के बावजूद भी अपीलांट को क्यों अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना चाहिए। अपीलांट के पक्ष मे सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति होने के बावजूद अपीलांट के विरूद्ध आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश मे यह नहीं बताया कि अन्य पक्षकारान के विरूद्ध क्यों नहीं स्थगन आदेश जारी किया जा सकता। अन्य पक्षकारान के बाबत किसी प्रकार की टीका टिप्पणी किये बिना ही अपीलांट के विरूद्ध आदेश प्रदान कर दिया, जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त नहीं होने से बिना कब्जे की व विभाजन की सहायता की मांग किये बिना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है, किन्तु फिर भी अपीलांट को पाबंद करने का आदेश प्रदान कर

दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। अपनी बहस के समर्थन मे अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत 2019(2) आर.आर.टी. पेज 777 प्रस्तुत किया। अन्त मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.10.2016 को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

8. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि प्रतिपक्षी संख्या 5 पुष्पाबाई ने विशिष्ट खसरा नम्बर 688, 689, 690 को बिना विभाजन कराये अपीलांटगण को विक्रय किया है। विवादित आराजीयात के क्रेतागण अपीलांट अजनबी व्यक्ति है। अपीलांटगण का विवादित भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। विवादित भूमि के कई सहखातेदारों को अपील मे पक्षकार कायम नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.10.2016 विधि सम्मत है। अपनी बहस के समर्थन मे अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे.1939 पेज 438, आर.बी.जे. 2002 पेज 47, आर.बी.जे. 2015 पेज 299, आर.बी.जे. 2019 पेज 706, आर.बी.जे. 2019 पेज 991, आर.बी. 2022 पेज 762 प्रस्तुत किये । अन्त मे अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.10.2016 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

9. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.10.2016 जो आदेशिका पर अंकित है वह स्पीकिंग व सकारण नहीं है, इसमे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रकरण मे प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, अपूरणीय क्षति व सुविधा का संतुलन के बिन्दुओं पर विचार किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अस्थाई व्यादेश देना या न देना अग्रलिखित तीनों बिन्दुओं पर निर्भर करता है–(1) प्रथम दृष्ट्या प्रकरण(2) सुविधा का संतुलन (3). अपूरणीय क्षति। यह तीनो शर्ते संयुक्त रूप से पूरी होने पर ही अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। उपरोक्त तीनों बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य मे प्रकरण को देखा जाना उचित होगा। (1). प्रथम दृष्ट्या प्रकरण–अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न फोटोप्रति जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 खाता संख्या 105, 106, 104 से स्पष्ट है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व प्रतिपक्षीगण सहखातेदार है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट का कथन है कि सहखातेदारी की भूमि मे किसी विशिष्ट खसरा नम्बर का बेचान नहीं किया जा सकता है। खरीददार अजनबी क्रेता कहलाता है। हम अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट के इस कथन से सहमत है कि सहखातेदार की भूमि मे विशिष्ट खसरा नम्बर की भूमि का बेचान नहीं किया जा सकता परन्तु यह कथन इस प्रकरण पर लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 की फोटोप्रति से स्पष्ट है कि रामचन्द्री बाई द्वारा जो विक्रय किया गया है, वह अपने हिस्से का किया गया है। जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 मे अंकित नोट अनुसार नामान्तरकरण संख्या 363 से दिनांक 14.07.2016 को महेन्द्र कुमार का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे आ चुका था तथा नामान्तरकरण संख्या 367 दिनांक 17.08.2016 से बद्रीविशाल का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे आ चुका था। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ऐसा कोई दस्तावेज पेश

नहीं कर पाये जिससे यह सिद्ध होता हो कि किसी विशिष्ट खसरा नम्बर का विक्रय किया गया हो। यह स्वीकृत तथ्य है कि पक्षकारान वर्तमान मे सहखातेदार है तथा सामान्यतः एक सहअभिधारी को दूसरे सह अभिधारी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जानी चाहिए। विधिवत विभाजन के उपरांत ही विक्रय अनुसार खाते पृथक–पृथक होकर राजस्व नक्शे मे तरमीम किया जाना संभव होता है। बगैर विधिवत विभाजन के संयुक्त खातेदारी मे प्रत्येक सहअभिधारी अविभाजित जोत के प्रत्येक इंच पर अपने हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार माना जाता है। क्योंकि अपीलांट महेन्द्र व बद्रीविशाल पूर्व से ही विवादित भूमि के अभिलिखित सहखातेदार है। अतः जितना प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के पक्ष मे है, उतना ही प्रथम दृष्ट्या प्रकरण अपीलांट के पक्ष मे भी होना प्रतीत होता है। (2) सुविधा का संतुलन– अपीलांट प्रतिपक्षी संख्या 1 व 2 तथा रेस्पोडेन्ट एवं प्रार्थी अभिलिखित खातेदार है। अतः सुविधा का संतुलन दोनो के पक्ष मे पाया जाता है। केवल प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष मे सुविधा का सतुलन नहीं है। (3). अपूरणीय क्षति– चूंकि पक्षकारान रिकॉर्डेड सहखातेदार है तथा संयुक्त खातेदारी की भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति मे अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी केवल प्रार्थी के पक्ष मे नहीं होकर अन्य सहखातेदारों के पक्ष मे भी है। संयुक्त स्वामित्व की अविभाजित भूमि पर किसी एक सहखातेदार को स्थगन आदेश से पाबंद किया जाना हस्तगत प्रकरण मे उचित नहीं है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण मे प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति केवल प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष मे साबित नहीं होते। अतः विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.10.2016 उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि केवल प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष मे उपर्युक्त विवेचित तीनो बिन्दु साबित नहीं पाए गए।

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा के प्रकरण संख्या 16/2016 मे पारित निर्णय दिनांक 13.10.2016 निरस्त किया जाता है।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटाई जावे।

12. निर्णय आज दिनांक 21.06.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा